



राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र (भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ)

NATIONAL CENTRE FOR COOPERATIVE EDUCATION (NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA)

एन.सी.सी.ई./एस.के./स्व.रोज./2011-12(3)

By Speed Post

दिनांक: 07/07/2011

प्राचार्य
सहकारी प्रबंध संस्थान
10-बी, ब्लाक -ए, झालाना डूंगरी
निकट दूरदर्शन केन्द्र
जयपुर - 302 004 (राजस्थान)

विषय: राजस्थान राज्य की स्वरोजगार सहकारी समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों/निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम (दिनांक 11 - 13 अक्टूबर, 2011) के संदर्भ में -
महोदय

आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली ने आपके सहयोग से उपरोक्त नेतृत्व विकास कार्यक्रम, सहकारी प्रबंध संस्थान, जयपुर में दिनांक 11 - 13 अक्टूबर, 2011 को आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार सहकारी समितियों की समस्याओं एवं चुनौतियों पर चर्चा कर उनका निदान करना एवं उन्हें सशक्त बनाना है। प्रतिभागियों को एन.सी.सी.ई. द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएगी:

1. प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री (अधिकतम 300 रु प्रति सेट)
2. भोजन, अल्पाहार एवं चाय (अधिकतम ₹ 120 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन)
3. सफल सहकारी समिति का अध्ययन भ्रमण (अधिकतम व्यय ₹ 4000)
4. कार्यक्रम में भाग लेने हेतु समिति से प्रबंध संस्थान तक आने जाने का sleeper class रेल / साधारण बस किराया।
5. अतिथि व्याख्याताओं के लिए मानदेय ₹ 500 प्रति सत्र (अधिकतम 6 सत्र)
6. उद्घाटन एवं समापन समारोह के लिए खर्च (अधिकतम ₹ 1000)

प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था सहकारी प्रबंध संस्थान, जयपुर के होस्टल में निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

आपसे निवेदन है कि राजस्थान राज्य में स्थित स्व रोजगार सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं निदेशकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु नामांकन भेजने हेतु (समय सीमा के अन्तर्गत) आवश्यक कार्यवाही करें तथा समय-समय पर हुई प्रगति से अवगत कराने का कष्ट करें। SC/ST/OBC/महिला प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाय। जो प्रतिभागी इस तरह के कार्यक्रम में पूर्व में भाग ले चुके हैं, उन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाए।

श्रीमती संध्या कपूर, सहायक निदेशक इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। भविष्य में सभी पत्राचार सीधे तौर पर उनसे किया जा सकता है।

कार्यक्रम के समापन के एक महीने के अर्न्तगत खर्च का ब्योरा रसीद/बिल/वाउचर्स (मूल प्रति) सहित भेजा जाए। सभी बिल/वाउचर्स/रसीद आपके द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

सधन्यवाद

भवदीय

(Handwritten Signature)
(डा० के.एन. सिन्हा)
निदेशक



राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र

(भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ)

NATIONAL CENTRE FOR COOPERATIVE EDUCATION

(NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA)

एन.सी.सी.ई./के.एन.एस./विपन्न/2011-12(6)

Speed Post

दिनांक: 07/07/2011

प्राचार्य

सहकारी प्रबंध संस्थान

6, पुरानी मसूरी रोड

राजपुर, देहरादून - 248 009

(उत्तराखण्ड)

विषय: उत्तराखण्ड के राज्य/जिला विपन्न सहकारी समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों/निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम (दिनांक 18 - 20 अक्टूबर, 2011) के संदर्भ में -

महोदय

आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली ने आपके सहयोग से उपरोक्त नेतृत्व विकास कार्यक्रम, सहकारी प्रबंध संस्थान, देहरादून में दिनांक 18 - 20 अक्टूबर, 2011 को आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विपन्न सहकारी समितियों की समस्याओं एवं चुनौतियों पर चर्चा कर उनका निदान करना एवं उन्हें सशक्त बनाना है। प्रतिभागियों को एन.सी.सी.ई. द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएगी:

1. प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री (अधिकतम 300 रु प्रति सेट)
2. भोजन, अल्पाहार एवं चाय (अधिकतम ₹ 120 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन)
3. सफल सहकारी समिति का अध्ययन भ्रमण (अधिकतम व्यय ₹ 4000)
4. कार्यक्रम में भाग लेने हेतु समिति से प्रबंध संस्थान तक आने जाने का sleeper class रेल / साधारण बस किराया।
5. अतिथि व्याख्याताओं के लिए मानदेय ₹ 500 प्रति सत्र (अधिकतम 6 सत्र)
6. उद्घाटन एवं समापन समारोह के लिए खर्च (अधिकतम ₹ 1000)

प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था सहकारी प्रबंध संस्थान, देहरादून के होस्टल में निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

आपसे निवेदन है कि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित राज्य/जिला विपन्न सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं निदेशकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु नामांकन भेजने हेतु (समय सीमा के अन्तर्गत) आवश्यक कार्यवाही करें तथा समय-समय पर हुई प्रगति से अवगत कराने का कष्ट करें। SC/ST/OBC/महिला प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाय। जो प्रतिभागी इस तरह के कार्यक्रम में पूर्व में भाग ले चुके हैं, उन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाए।

भविष्य में सभी पत्राचार अधोहस्ताक्षरी से सीधे तौर पर उनसे किया जा सकता है।

कार्यक्रम के समापन के एक महीने के अन्तर्गत खर्च का ब्योरा रसीद/बिल/वाउचर्स (मूल प्रति) सहित भेजा जाए। सभी बिल/वाउचर्स/रसीद आपके द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

सधन्यवाद

भवदीय

(डा० के.एन. सिन्हा)
(डा० के.एन. सिन्हा)
निदेशक



राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र

(भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ)

NATIONAL CENTRE FOR COOPERATIVE EDUCATION

(NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA)

एन.सी.सी.ई./वी.के.डी/उद्यान/2011-12(8)

Speed Post

दिनांक: 07/07/2011

प्राचार्य

इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान

ब्लाक - बी, सेक्टर - 18

राजाजी पुरम, लखनऊ - 226 017

(उत्तरप्रदेश)

विषय: उत्तरप्रदेश राज्य की औद्योगिक सहकारी समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों/निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम (दिनांक 22 - 24 नवम्बर, 2011) के संदर्भ में -

महोदय

आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली ने आपके सहयोग से उपरोक्त नेतृत्व विकास कार्यक्रम, इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ में दिनांक 22 - 24 नवम्बर, 2011 को आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक सहकारी समितियों की समस्याओं एवं चुनौतियों पर चर्चा कर उनका निदान करना एवं उन्हें सशक्त बनाना है। प्रतिभागियों को एन.सी.सी.ई. द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएगी:

1. प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री (अधिकतम 300 रु प्रति सेट)
2. भोजन, अल्पाहार एवं चाय (अधिकतम ₹ 120 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन)
3. सफल सहकारी समिति का अध्ययन भ्रमण (अधिकतम व्यय ₹ 4000)
4. कार्यक्रम में भाग लेने हेतु समिति से प्रबंध संस्थान तक आने जाने का साधारण राशन यान रेल / साधारण बस किराया।
5. अतिथि व्याख्याताओं के लिए मानदेय ₹ 500 प्रति सत्र (अधिकतम 6 सत्र)
6. उद्घाटन एवं समापन समारोह के लिए खर्च (अधिकतम ₹ 1000)

प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के होस्टल में निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

आपसे निवेदन है कि उत्तरप्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं निदेशकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु नामांकन भेजने हेतु (समय सीमा के अन्तर्गत) आवश्यक कार्यवाही करें तथा समय-समय पर हुई प्रगति से अवगत कराने का कष्ट करें। SC/ST/OBC/महिला प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाय। जो प्रतिभागी इस तरह के कार्यक्रम में पूर्व में भाग ले चुके हैं, उन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाए।

डा० वी.के. दुबे, उप निदेशक इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। भविष्य में सभी पत्राचार सीधे तौर पर उनसे किया जा सकता है।

कार्यक्रम के समापन के एक महीने के अन्तर्गत खर्च का ब्योरा रसीद/बिल/वाउचर्स (मूल प्रति) सहित भेजा जाए। सभी बिल/वाउचर्स/रसीद आपके द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

सधन्यवाद

भवदीय

(डा० के.एन. सिन्हा)

निदेशक



राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र

(भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ)

NATIONAL CENTRE FOR COOPERATIVE EDUCATION

(NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA)

एन.सी.सी.ई. / के.एन.एस. / महिला / 2011-12(12) दिनांक: 07 / 07 / 2011

Speed Post

प्राचार्य

इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान

ब्लाक - बी, सेक्टर - 18

राजाजी पुरम, लखनऊ - 226 017

(उत्तरप्रदेश)

विषय: उत्तरप्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य की महिला सहकारी समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों/निदेशकों हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम (दिनांक 12 - 14 दिसम्बर, 2011) के संदर्भ में -

महोदय

आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली ने आपके सहयोग से उपरोक्त नेतृत्व विकास कार्यक्रम, इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ में दिनांक 12 - 14 दिसम्बर, 2011 को आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सहकारी समितियों की समस्याओं एवं चुनौतियों पर चर्चा कर उनका निदान करना एवं उन्हें सशक्त बनाना है। प्रतिभागियों को एन.सी.सी.ई. द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएगी:

1. प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री (अधिकतम 300 रु प्रति सेट)
2. भोजन, अल्पाहार एवं चाय (अधिकतम ₹ 120 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन)
3. सफल सहकारी समिति का अध्ययन भ्रमण (अधिकतम व्यय ₹ 4000)
4. कार्यक्रम में भाग लेने हेतु समिति से प्रबंध संस्थान तक आने जाने का sleeper class रेल / साधारण बस किराया।
5. अतिथि व्याख्याताओं के लिए मानदेय ₹ 500 प्रति सत्र (अधिकतम 6 सत्र)
6. उद्घाटन एवं समापन समारोह के लिए खर्च (अधिकतम ₹ 1000)

प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था इंदिरा गांधी सहकारी प्रबंध संस्थान, लखनऊ के होस्टल में निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

आपसे निवेदन है कि उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में स्थित महिला सहकारी समितियों के अध्यक्षों एवं निदेशकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु नामांकन भेजने हेतु (समय सीमा के अन्तर्गत) आवश्यक कार्यवाही करें तथा समय-समय पर हुई प्रगति से अवगत कराने का कष्ट करें। SC/ST/OBC/महिला प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाय। जो प्रतिभागी इस तरह के कार्यक्रम में पूर्व में भाग ले चुके हैं, उन्हें कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाए।

भविष्य में सभी पत्राचार अधोहस्ताक्षरी से सीधे तौर पर किया जा सकता है।

कार्यक्रम के समापन के एक महीने के अन्तर्गत खर्च का ब्योरा रसीद/बिल/वाउचर्स (मूल प्रति) सहित भेजा जाए। सभी बिल/वाउचर्स/रसीद आपके द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

सधन्यवाद

भवदीय

कांता 09/07/11

(डा० के.एन. सिन्हा)

निदेशक